अरुणा आसफ अली



अरुणा आसफ अली

प्रभात प्रकाशन
ISO 9001:2015 प्रकाशक

अरुणा आसफ अली



‘**भा**रत छोड़ो आंदोलन’ में मुख्य भूमिका, दिल्ली की प्रथम मेयर, 1964 में अंतरराष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में अंतरराष्ट्रीय समझौते के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार, 1998 में भारत रत्न से सम्मानित अरुणा आसफ अली आजादी की लड़ाई में एक नायिका के रूप में उभरकर सामने आईं। उनकी पहचान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की। उन्होंने बंबई के वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया। ऐसा करके वे उन हजारों युवाओं के लिए एक मिसाल बन गईं, जो उनका अनुसरण कर देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। अरुणा आसफ अली ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक सम्मानित स्थान बनाया। सन् 1942 में ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ को उन्होंने जिस निडरता और साहस से संचालित किया, उससे उन्हें ‘1942 की नायिका’, ‘1942 की झाँसी की रानी’ और इसी तरह के उपनामों से संबोधित किया गया।

जन्म और शिक्षा

अरुणा ने 1930, 1932 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल की अरुणा आसफ अली



उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए नैनीताल के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में भरती कराया गया था। नैनीताल में उनकी शिक्षा के दौरान गरमी की छुट्टियों में नेहरू परिवार से उनका परिचय तब हुआ, जब वह परिवार वहाँ गया था। नेहरूजी के संपर्क में आने के बाद उनका झुकाव राष्ट्रवाद और मातृभूमि के प्रति हुआ।

इस निडर और दृढ़प्रतिज्ञ क्रांतिकारी महिला का जन्म 16 जुलाई, 1909 को बंगाल के एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार में हरियाणा, तत्कालीन पंजाब के 'कालका' नामक स्थान में हुआ। उनके बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। उनके पिता उपेंद्रनाथ गांगुली नैनीताल में एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। उनकी माता अंबालिका देवी त्रिलोकनाथ सान्याल की बेटी थीं। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके पिता का निधन हो गया। तब उनकी माता द्वारा उनका पालन-पोषण किया गया था। उपेंद्रनाथ गांगुली के छोटे भाई धीरेंद्रनाथ गांगुली फिल्म डायरेक्टर थे।

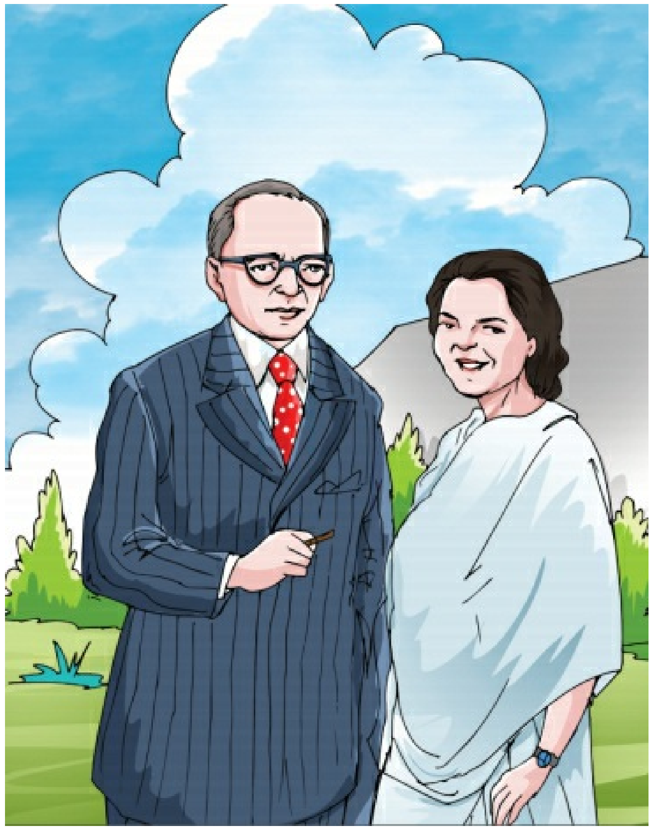
उनके एक और भाई नागेंद्रनाथ एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की बेटी मीरा देवी से विवाह किया था। अरुणा की बहन पूर्णिमा बनर्जी भारत के कॉन्स्टीट्यूएंट असेंबली की सदस्य थीं।

अरुणा गांगुली बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और पढ़ाई-लिखाई में बहुत तेज थीं।

सजाएँ भोगीं। उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में अरुणा ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। गांधी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद बंबई में विरोध सभा आयोजित करके विदेशी सरकार को खुली चुनौती

देनेवाली वे प्रमुख महिला थीं।

फिर गुप्त रूप से उन कांग्रेसजन का पथ-प्रदर्शन किया, जो जेल से बाहर रह सके थे।



बाल्यकाल से ही कक्षा में सर्वोच्च स्थान पाती थीं। बचपन में ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुरता की धाक जमा दी थी।

इसके बाद दोनों को परिवार और समाज की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, मगर इसके बावजूद दोनों हमेशा साथ ही रहे। कांग्रेसी नेताओं ने इस कदम की सराहना की। उन्होंने विवाह के बाद शिक्षण कार्य छोड़ दिया और अपने पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गईं। अब उन्हें अपने पति के रूप में एक राजनीतिक हालाँकि अरुणा हिंदू ब्राह्मण थीं, जबकि आसफ मुसलिम थे और यही नहीं, वे उम्र में भी अरुणा से काफी बड़े थे, लेकिन उन्होंने सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए एक-दूसरे से शादी करनी चाही। इसके बाद 1928 में आसफ अली ने 21 साल की अरुणा गांगुली से शादी कर ली। अरुणा गांगुली आसफ अली से शादी करने के बाद अरुणा आसफ अली बन गईं और इसी नाम से मशहूर भी हुईं।

दोनों की मुलाकातें होने लगीं। उन्होंने एक-दूसरे के विचारों को समझा और धीरे-धीरे नजदीकियाँ बढ़ने लगीं। नजदीकियाँ बढ़ीं तो अरुणा और आसफ के बीच का प्यार परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने का फैसला किया।

शिक्षण कार्य

अरुणा अपनी शिक्षा पूरी होने पर कलकत्ता लौट आईं। यहाँ उन्होंने गोखले मेमोरियल स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती थीं, लेकिन इसी बीच उन्हें अपनी छोटी बहन की शादी में भाग

लेने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। यहाँ उनकी मुलाकात दिल्ली के एक प्रसिद्ध वकील आसफ अली से हुई। आसफ अली एक कांग्रेसी नेता थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास करते थे और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा भी थे। उनके व्यक्तित्व का अरुणा पर गहरा प्रभाव पड़ा।



इस बीच जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और उन जैसे अन्य समाजवादी नेताओं के साथ उनका परिचय हुआ। इस मेल-मुलाकात से अरुणा के समाजवादी विचार को और ज्यादा मजबूती मिली।

समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव

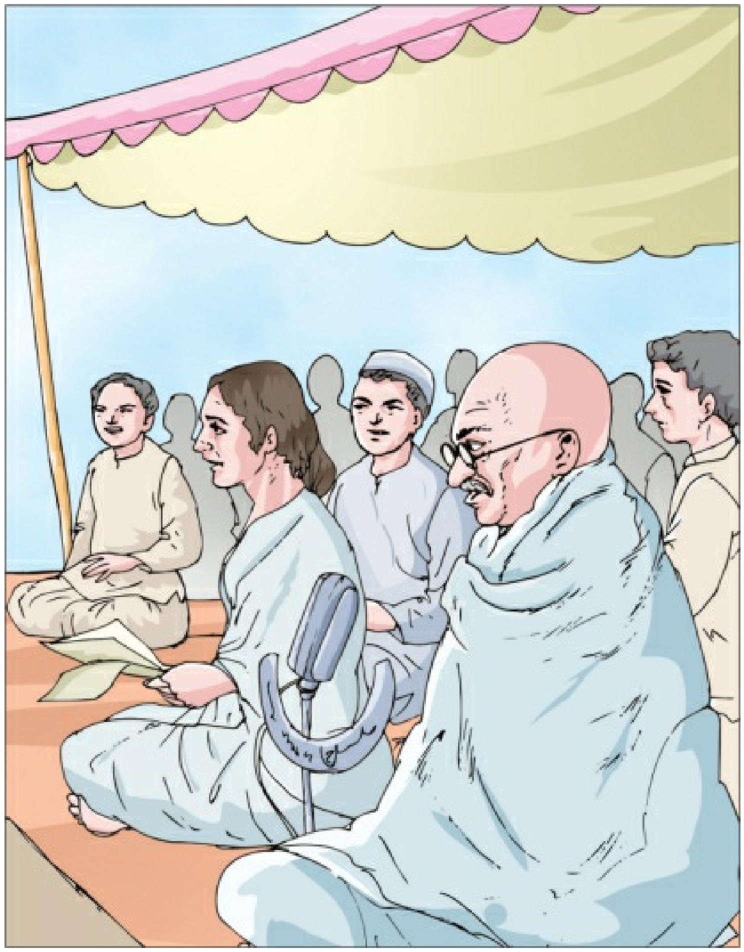
अरुणा ने गांधीजी द्वारा स्वतंत्रता के लिए शुरू किए गए विभिन्न अभियानों में हिस्सा लिया। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। वर्ष 1930 में 'नमक सत्याग्रह' के दौरान उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और जुलूस निकाला। ब्रिटिश सरकार ने उन पर आवारा होने का आरोप लगाया। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए तत्कालीन मुख्य आयुक्त, दिल्ली ने उन्हें विधानसभा से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा सका। नतीजतन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। कुछ महीने

बाद गांधी-इरविन संधि के बाद कई नेताओं को रिहा कर दिया गया। हालाँकि अरुणा को उनके अतिवादी व्यक्तित्व के कारण रिहा नहीं किया गया था, लेकिन गांधीजी और अन्य प्रमुख नेताओं ने सरकार पर दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उनकी रिहाई संभव हुई।

मार्गदर्शक भी मिल गया था। चूँकि आसफ अली स्वतंत्रता संग्राम से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, इसीलिए शादी के बाद दोनों ने आजादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनों में

हिस्सा लेने लगे।

1932 में उन्हें पुन: बंदी बना लिया गया और तिहाड़ जेल में रखा गया। तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे बुरे बरताव के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। उनके विरोध के कारण ही हालात में कुछ सुधार हुआ, लेकिन वे स्वयं अंबाला के एकांत कारावास में चली गईं। जेल में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता



अज्ञात जीवन जीते हुए अरुणा ने समाजवादी नेताओं के एक समूह के साथ देश का दौरा किया और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में जज्बा भर दिया। सरकार ने इस घटना के विरोध में राष्ट्रीय नेताओं ने 8 अगस्त, 1942 को खुद को गिरफ्तार करा दिया; लेकिन अरुणा ऐसा नहीं करना चाहती थीं। इसके बजाय उन्होंने 9 अगस्त, 1942 को सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने के लिए आंदोलन शुरू किया। इस प्रयास में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अरुणा भूमिगत हो

गईं और आंदोलन का नेतृत्व जारी रखा।

वर्ष 1942 में उन्होंने अपने पति के साथ बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, जहाँ 8 अगस्त को ऐतिहासिक ‘अंग्रेजो भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पारित हुआ।

प्रस्ताव पारित होने के एक दिन बाद जब कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब अरुणा ने बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में ध्वजारोहण कर आंदोलन की अध्यक्षता की। उन्होंने आंदोलन में एक नया जोश भर दिया। वे भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गईं और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गईं। उनकी

संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त करके बेच दिया गया। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपए के ईनाम की घोषणा भी की। इस बीच वे बीमार पड़ गईं और यह सुनकर गांधीजी ने उन्हें समर्पण करने की सलाह दी।

द्वितीय विश्वयुद्ध सन् 1939 में शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भारतीयों के विरोध के बावजूद भारत को युद्ध का हिस्सा बना लिया। विरोध में गांधीजी ने सन् 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। अरुणा ने भी इस आंदोलन में खुद को गिरफ्तार कराने की पेशकश की।

था, इसलिए उन्हें आरोग्य-प्राहश्वित के लिए जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उन्हें 10 साल के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर दिया गया। इसके बाद वे राजनीतिक गतिविधियों में और अधिक सक्रिय हो गईं।



एक बार वे कलकत्ता में रह रही थीं। जासूस विभाग को उनके आगमन के बारे में पता चला। वहाँ रहते हुए एक दैनिक समाचार-पत्र द्वारा उन्हें पता चला कि एक अंग्रेज परिवार को एक आया के रूप में एक भारतीय महिला की आवश्यकता है।

अरुणा ने अपनी वेशभूषा बदली और वहाँ आया के रूप में नौकरी कर ली। इस प्रकार वे पुलिस और खुफिया विभाग की आँखों में धूल झोंकती रहीं। यह कदम उनकी अंतर्दृष्टि, साहस और विलक्षण बुद्धि का परिचय कराता है।

सन् 1944 में लगभग सभी नेताओं को सरकार द्वारा मुक्त कर दिया गया था।

हालाँकि वे आगे नहीं आईं। आखिरकार, जब प्रांतों में कांग्रेस सरकारों का गठन हुआ तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट 26 जनवरी, 1946 को रद्द कर दिया गया। 'डेली भूमिगत रहना और लगातार यात्राएँ करना; इसने उनके

स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। गांधीजी से उन्हें एक संदेश मिला कि इस तरह मरने और हरिजन फंड में ईनामी राशि जमा करने से साहसपूर्वक आत्मसमर्पण करना बेहतर होगा, किंतु अपने दृढ़ संकल्प के चलते वे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती थीं। ऐसी स्थिति में लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे।

भूमिगत रहते हुए अरुणा ने समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया के साथ हाथ मिलाकर 'इनकलाब' नामक एक समाचार-पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने लोगों से हिंसा और अहिंसा के बारे में सोचने और स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने के लिए आग्रह किया। उनके कहने पर 'बहिष्कार आंदोलन' शुरू किया गया था। भूमिगत रहते हुए वे अकसर अपनी वेशभूषा और निवास बदलती रहीं और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रांतों के नेताओं से मुलाकात करती रहीं।

इस दौरान उनकी माँ की मृत्यु हो गई।

उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपने सभी प्रयास किए, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही। 9 अगस्त, 1942 को उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था।



आसफ अली को 1945 में कांग्रेस पार्टी द्वारा आई.एन.ए. डिफेंस टीम का कन्वीनर बनाया गया, जिसके बाद वे क्रांतिकारियों को बचाने का काम करने लगे।

आगे चलकर भारत सरकार में रेलवे और परिवहन विभाग की कमान सँभाली।

इसके बाद अमेरिका में पहले भारतीय राजदूत बने और फिर इन्हें उड़ीसा का गवर्नर 8 अप्रैल, 1929 को

स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फोड़ा, जिसके बाद दोनों गिरफ्तार हो गए और इन पर मुकदमा चलाया गया।

आसफ अली ने ही इस केस को अपने हाथों में ले लिया और भगत सिंह व उनके साथियों की पैरवी करने लगे। 1935 में आसफ अली को मुसलिम राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से केंद्रीय विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से मुसलिम लीग के उम्मीदवार के खिलाफ दोबारा विधानसभा सदस्य मनोनीत हुए।

आसफ अली की जीवनयात्रा

ट्रिब्यून' समाचार-पत्र ने उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि और साहसी भूमिगत आंदोलन चलाने के लिए '1942 की झाँसी की रानी' नाम से संबोधित किया। जब वे अपने भूमिगत स्थान से बाहर आईं तो उन्हें सम्मानित करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं।

15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हो गया। इसके बाद उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। आजादी के बाद उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यों में लगा दिया।

आजादी के समय अरुणा आसफ अली सोशलिस्ट पार्टी की सदस्या थीं।

सोशलिस्ट पार्टी तब तक कांग्रेस की रूपरेखा का हिस्सा रही थी। हालाँकि 1948 में अरुणा और समाजवादियों ने मिलकर स्वयं एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1955 में यह समूह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गया और वे इसकी केंद्रीय समिति की सदस्य तथा आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष बन गईं।

पहली महिला महापौर

अंत में उन्हें स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में सेवा करने का मौका मिला, मगर इसी दौरान बीमारी के चलते देश के इस सिपाही ने 1 अप्रैल, 1953 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, वहीं इस दौरान अरुणा आसफ अली भी भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। भारत को जब आजादी मिली तो इस दंपती ने भारत के अलग-अलग पदों पर रहकर देश की सेवा की, मगर अफसोस, अरुणा अब अकेली हो चुकी थीं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देश के उत्थान के लिए लगातार काम करती रहीं।

नियुक्त किया गया, हालाँकि बीमारी के चलते 1952 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

1958 में अरुणा दिल्ली की प्रथम मेयर चुनी गईं। उन्होंने दिल्ली में 'दैनिक हाल' के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की। वे पत्रकारिता में पहले से ही

अनुभवी थीं। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में 'लिंक' और 'पेट्रियट' समाचार-पत्रों के संस्थापक-प्रबंधक के रूप में यश अर्जित किया। 1964 में वे कांग्रेस पार्टी से दोबारा जुड़ गईं, पर सक्रिय रूप से भाग लेने से मना कर दिया।

उन्होंने दिल्ली में सरस्वती भवन की स्थापना की, जो आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण संस्था बन गई। दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना उनके ही प्रयासों के बाद हुई थी। उन्होंने कई महिला आंदोलनों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ए.आई.टी.यू.सी.) के उपाध्यक्ष का पद भी सँभाला और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।

निधन

अरुणा आसफ अली वृद्धावस्था में बहुत शांत और गंभीर स्वभाव की हो गई थीं।

सन् 1964 में अरुणा को प्रसिद्ध यू.एस.एस.आर. पुरस्कार, 'लेनिन अवॉर्ड' के अलावा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक साल बाद मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। आज अरुणा आसफ अली भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके कार्य और उनका अंदाज आनेवाली

पीढ़ियों को सदैव रास्ता दिखाते रहेंगे। उन्हें यों ही स्वतंत्रता संग्राम की 'ग्रैंड ओल्ड लेडी' नहीं कहा जाता है।

'भारत रत्न' से सम्मानित



उनकी आत्मीयता और स्नेह को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वास्तव में वे महान् देशभक्त थीं। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का 87 वर्ष की आयु में 29 जुलाई, 1996 को नई दिल्ली में निधन हो गया और वे इस संसार को छोड़कर सदैव के लिए दूर, बहुत दूर चली गईं। उनकी सुकीर्ति आज भी अमर है।

❑❑❑